

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना दुधारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

चोरी की गई चार पहिया कृषि ट्राली बरामद, घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा श्री अमित कुशवाहा तथा एंटी थेफ्ट प्रभारी उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह की गठित टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी की गई चार पहिया कृषि ट्राली बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण— दिनांक 05.10.2026 को वादी श्री अबरार पुत्र अमानुल्लाह निवासी देवरिया नासिर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि ग्राम गंगौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोला हूं दिनांक 03.10.2026 को शाम को दुकान बंद करके वादी घर चला आया जोकि वादी ट्राली सिकंदर शर्मा के घर सामने खड़ी थी जो की रात में ट्राली किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्राली चोरी कर लेने के मम्बन्ध में दिया गया।

प्राप्त प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 403/2026 धारा 305(a) बीएनएस पंचीकृत किया गया। आज दिनांक 07.10.2026 को थानाध्यक्ष दुधारा श्री अमित कुशवाहा मय पुलिस टीम क्षेत्र में रात्रि गश्त, चेकिंग एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गंगौली से पूर्व में चोरी हुई ट्राली को तीन व्यक्ति ट्रैक्टर से लेकर बेचने के उद्देश्य से जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा ग्राम जातेगडहा-दुबौलिया नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्राली को रोककर चेक किया गया। ट्रैक्टर पर सवार तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. मो0 अनस पुत्र सराफत हुसैन निवासी ग्राम तिनहरी माफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
2. अब्दुल वदूद पुत्र अब्दुल्लाह निवासी ग्राम मुड़ागडहा खुर्द थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
3. मुर्गस्सर पुत्र अब्दुल खालिद निवासी ग्राम मुड़ागडहा खुर्द थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

पूछताछ विवरण— पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम तीनों मिलकर ग्राम गंगौली से ट्राली चोरी करने की योजना बनाई थी तथा दिनांक 03.10.2026 को ट्राली चोरी कर पहले ग्राम गुलरहरवा में खड़ा किया गया। इसके बाद ट्राली को ट्रैक्टर से टोचन कर ग्राम महदेवा में छिपाकर रखा गया था। दिनांक 07.10.2026 को हम तीनों मिलकर चोरी की ट्राली को बेचने के उद्देश्य से ट्रैक्टर से बस्ती ले जा रहे थे, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

बरामदगी—

- चोरी की 01 अदद चार पहिया कृषि ट्राली, जिस पर निजी कृषि कार्य हेतु अंकित है।
- घटना में प्रयुक्त 01 ट्रैक्टर महिन्द्रा नोवो 605 डीआई पीएस।
- घटना में प्रयुक्त 01 ट्रैक्टर आयशर 333 सुपर डीआई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम— थानाध्यक्ष श्री अमित कुशवाहा, व0उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 श्री राजेश सिंह, उ0नि0 श्री शोभनाथ, हे0का0 मोतीलाल यादव, हे0का0 विनय यादव, का0 रंजन राजभर, का0 राजा सिंह, का0 दीपक सिंह।

एंटी थेफ्ट टीम- प्रभारी उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, हे0का0 आदित्य यादव, का0 अरुण हलवाड़।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी का 01 अदद टुल्लू पम्प व 01 जोड़ी पायल सफेद धातु तथा 300 रुपया नकद बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्त नाम पता 01. मोहम्मद जाफर पुत्र शाह अली निवासी कालीपुरवा नगर पंचायत बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गोइड़ा नाला पुलिया के पास से आज दिनांक 07.10.2026 को चोरी के 01 अदद टुल्लू पम्प व 01 जोड़ी पायल सफेद धातु तथा 300 रुपया नकद के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण— वादिनी श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व० रामबहाल निवासी वार्ड 01 सेहुआनाथ नगर पंचायत बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 06.10.2026 को थाना बेलहरकला पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादिनी का पूरा परिवार बेलहर कला के घर से अपने पैत्रिक ग्राम कसेहरा थाना खेसरहा जिला सिद्धार्थनगर गया था। दिनांक 01.10.2026 को जब हम कुछ सामान लेने बेलहरकला गांव में घर पर आई तो देखी घर का ताला टूटा मिला, इसके बाद घर के अंदर गई तो देखी कि चोर घर से सोने व चांदी के जेवरात तथा कपड़ा, बर्तन, विद्युत वाला मोटर एवं दस नई साड़ी उठा ले गए हैं। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु०अ०सं० 296/2026 धारा 305(a), 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

पूछताछ विवरण— पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त बरामद पायल सेहुआनाथ के एक घर से चोरी किया था। यह रुपया जो सोने की चेन चुराया था उसको राह चलते बेच दिया था जिसका और पैसा खाने पीने में खर्च हो गया है। यह पायल भी आज बेचने के लिए जा रहे थे कि आप पकड़ लिए तथा टुल्लू पम्प के बारे में पूछने पर बताया कि बगल झाड़ी में छिपाकर रखा हूँ। उसी को लेने यहाँ आया था। उक्त टुल्लू पम्प की बरामदगी अभियुक्त के निशादेही पर किया गया।

बरामदगी—

- चोरी का 01 अदद टुल्लू पम्प।
- चोरी की 01 जोड़ी पायल सफेद धातु।
- ₹300 नकद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम— उ०नि० श्री रामनयन आर्या, का० संतोष चौहान, का० रोहित कुमार, का० विपिन प्रकाश थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 07.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे की गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 922/2026 धारा 191(2), 191(3), 109, 61(2), 352 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 04 अभियुक्तगण नाम पता 01. अंशुल कन्नौजिया पुत्र जगदीश कन्नौजिया निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. कन्हैया कन्नौजिया पुत्र प्रहलाद निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को उनके घर से तथा 03. सिध्दार्थ कन्नौजिया उर्फ मोनू कन्नौजिया पुत्र होरीलाल निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 04. सुमित कन्नौजिया पुत्र जगदीश निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को तामेश्वरनाथ तिराहा से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण— वादी श्री जनार्दन प्रसाद पुत्र स्व0 हरिंगंगा प्रसाद निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 06.10.2026 को थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि आज शाम लगभग 7.00 बजे मेरे पुत्र दुर्गा प्रसाद व केसरी प्रसाद गांव के ही काली मन्दिर पर नवरात्रि की तैयारी हेतु साफ सफाई कर रहे थे, पुरानी कहासुनी को लेकर के अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ घात लगाकर मेरे पुत्रों को धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से मां बहन की भट्टी गाली देते हुए एवं ललकारते हुए प्राणघातक हमला किया, जिससे मेरे पुत्रों को बहुत गंभीर चोटें आयी हैं। उक्त लोग मेरे पुत्रों को मृत समझ कर छोड़ कर भाग गए। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उपरोक्त वांछित 04 अभियुक्तों को आज दिनांक 07.10.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अंशुल कन्नौजिया पुत्र जगदीश कन्नौजिया निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. कन्हैया कन्नौजिया पुत्र प्रहलाद निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03. सिध्दार्थ कन्नौजिया उर्फ मोनू कन्नौजिया पुत्र होरीलाल निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
04. सुमित कन्नौजिया पुत्र जगदीश निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पुलिस टीम— उ0नि0 श्री विनय कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री अश्वनी तिवारी, हे0का0 धर्मेन्द्र पाण्डेय, का0 मनीष प्रभात, का0 आनन्द कुमार शुक्ला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 07.10.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 06.10.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक 06.09.2006 को तात्कालिक एस0ओ0 बखिरा श्री रामकिशुन राना द्वारा अभियुक्त मन्नान पुत्र पीर मोहम्मद निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 07 अदद गोवंशीय चमड़ा बरामद करते हुए थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री सुदामा यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 62/2006 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मन्नान उपरोक्त को जुर्म स्वीकार करने पर मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का कारावास भुगतना होगा।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 07.10.2026

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलों में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 3000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.10.2026 को न्यायालय न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 16.02.2018 को अभियुक्तगण 01. श्रीराम पुत्र चुन्नीलाल 02. श्रीमती रेनू देवी पत्नी श्रीराम 03. कुमारी कमलावती पुत्री श्रीराम निवासीगण पनवारे थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज के संबंध तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। हे0का0 श्री दिनेश कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

एनसीआर नं0 394/2018 धारा 323, 504 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 323, 504 भा0द0वि0 के अपराध में प्रत्येक को दोनो धाराओं में क्रमशः 700-700 रुपये तथा 300-300 रुपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा कारागार में बितायी गयी अवधि (यदि कोई हो) उक्त सजा में समायोजित की जायेगी।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 07.10.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़खानी व धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.10.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक 25.03.2018 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त इसरार उर्फ लाला पुत्र जुम्न निवासी नेदुला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी करने व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री रमेश कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 250/2018 धारा 354, 452, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट तथा 3(1)(w)(i) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त इसरार उर्फ लाला उपरोक्त को धारा 354, 506 भादवि व 3(1)(w)(i) एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्त इसरार उर्फ लाला उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 354 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, अन्तर्गत धारा 506 भादवि में 07 माह के सश्रम कारावास व 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, अन्तर्गत धारा 3(1)(w)(i) एससी/एसटी एक्ट में 07 माह के सश्रम कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।